

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225583
SG-DL-E-02032021-225583

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2021/ फाल्गुन 7, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 345
No. 73]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2021/ PHALGUNA 7, 1942	[N. C. T. D. No. 345

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

सं. फा. 16(525)/श0वि0/जल/2015/316.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 27 नवम्बर 1981 की दिल्ली अधिसूचना सं० फा० 9/32/81/एलएसजी - 7792 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली जल बोर्ड में कानूनगो के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में कानूनगो के भर्ती विनियम, 2021 कहा जाये।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे

संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :- कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

‘अनुसूची’

1.	पदनाम	:	कानूनगो
2.	पदों की संख्या	:	01 (2021) * *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी “ग”
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25,500-81,100/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 से 27 वर्ष । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों /आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) नोट:-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :- (i) गणित एक विषय सहित मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स । वांछनीय :- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक।

			(ii) केंडस्ट्राल सर्वे / टोटल स्टेशन मैथड सर्वे में डिप्लोमा / पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र । (iii) केंडस्ट्राल सर्वे / टोटल स्टेशन मैथड सर्वे में एक वर्षीय फील्ड अनुभव ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	<u>पदोन्नति:-</u> नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत 8 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900 – 63,200 /—रुपये) में कार्यरत तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले पटवारी ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	“ग” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :- 1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), – अध्यक्ष 2. एस.इ. (सिविल / इलैक्ट्रिकल और मकैनिकल) – सदस्य 3. सहायक आयुक्त(भूमि एवं सम्पदा) – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

विकास गोयल, उप सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th February, 2021

No. 16(525)/UD/W/2015/316.—In exercise of the Powers conferred under clause (m) sub-section (2) of section 109 read with section 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Notification No. F 9/32/81-LSG-7792 dated 27th November 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Government of National Capital Territory of Delhi, for regulating the method or recruitment to the post of Kanungo in Delhi Water Board, are hereby published, namely:-

- Short title and commencement:-** (I) These regulations may be called Delhi Jal Board for the post of Kanungo the Recruitment and Promotion Regulation, 2021.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:-** The number of posts, classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification:-** No person;
 - a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
 - b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to Relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	No. of Posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection or Non-Selection Post.	Age Limit for Direct Recruits.
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)
Kanungo.	1 (2021) *Subject to variation dependent on workload.	Category 'c'.	Level 4 (rs.25500-81100) in the Pay Matrix.	Selection.	Between 18 to 27 years (relaxable for Government Servants and the Employees of delhi Jal Board in accordance with the instructions issued by the Central Government. Note :- the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pardesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pardesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational & other Qualification required for Direct Recruits.	Whether age and Educational qualification prescribed	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by Direct Recruitment, or by promotion or by deputation/
---	--	------------------------------	--

	for Direct Recruits will apply in the case of promotees.		absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7.)	(8.)	(9.)	(10.)
Essential:- (i) 12 th pass from a recognized Board/ University with Math as one of the subject. (ii) One year Diploma Course in Computer from a Government Recognized Institution. Desirable (i) Graduation from a Recognised University in any discipline. (ii) Diploma/Certificate course in Cadastral Survey/total Station Method Survey. (iii) One year field experience in Cadastral Survey/Total Station Method Survey.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by Direct Recruitment,

In case of Recruitment by Promotion or Deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11.)	(12.)	(13.)
Promotion:- Patwari in level 2 (rs. 19900–63200/-) in the Pay Matrix with eight years service rendered after appointment thereto on regular basis and have gone for one week training in the related field from Delhi Jal Board Training Institute.	Category 'c' Departmental Promotion Committee for Considering for consisting of:- 1. Director (Administration & Personnel) Chairman. 2. SE (Civil/Electrical and Mechanical) member. 3. AC (Land and Estate) member .	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

VIKAS GOYAL, Dy. Secy. (Water)